राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ....249 / 2018...............................जिला............श्रीगंगानगर..

उनवान – मैसर्स एन.एम.एक्सपोर्टस बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगागनगर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.02.2018	**खण्डपीठ** **श्री के.एल.जैन, सदस्य** **श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री वी.सी.सोगानी एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल पोखरणा उपस्थित। यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.2018 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत् कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित मांग राशि रू0 88,15,248 / – की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने को चुनौती दी गयी है । अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना पत्र के संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री वी.सी.सोगानी एवं राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा की बहस सुनी गई। उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रकरण में वसूली योग्य बकाया मांग राशि में से कर राशि रूपये 16,95,240 / – राजकोष में जमा कराये जाने की शर्त पर अवशेष राशि की वसूली कार्यवाही पर इस शर्त पर रोक लगाई जाती है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्थगित राशि की जमानत निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप (Adequate Security) 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। उक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें । 7. अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। 8. आदेश प्रसारित किया गया। (मदन लाल मालवीय) सदस्य (के.एल.जैन) सदस्य	